

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-28/03/2025

विषय:- “विकसित बिहार के सात निश्चय” अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 515,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त किस्त के रूप में रु0 30,15,00,000/- (रुपये तीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के सबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं0-308(1), दिनांक-07/03/2019 द्वारा “विकसित बिहार के सात निश्चय” अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेगूसराय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 560.9374 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 515,00,00,000/- (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त किस्त के रूप में रु0 30,15,00,000/- (रुपये तीस करोड़ पन्द्रह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2-इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2020-21	40,70,00,000	स0-33(1), दिनांक-15/01/2021
2	2023-24	5,00,00,000	स0-528(7), दिनांक-23/02/2024
3	2024-25	1,00,00,000	स0-47(7), दिनांक-27/05/2024
4	2024-25	60,00,00,000	स0-135(7), दिनांक-21/08/2024
5	2024-25	65,93,00,000	स0-308(7), दिनांक-23/12/2024
कुल योग-		1,72,63,00,000/-	

3-उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-308(1), दिनांक-07/03/2019 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4-इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-42100305000103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA007विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा कर राशि का खर्च विनिश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7- बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8- वित्त विभाग पत्र संख्या- 2867, दिनांक-13.03.2025 की कड़िका-2(ii) में दिये गये निर्देश के आलोक में पी०एल०खाता में राशि अंतरण के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

9- यह व्ययादेशच वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एव 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि०, दिनांक-24.03.2017, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

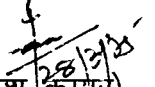
11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-1/विविध-10/2019 के पृष्ठ-11/टि० में प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शैलेश कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

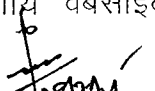
ज्ञापांक:-1/विविध-10/2019- 592 (7) /स्वा०, पटना, दिनांक-28/03/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिलाधिकारी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 7/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव